लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4958

01 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

रेशम उत्पादन अवसंरचना परियोजनाएं

4958. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान रेशम-समग्र के अंतर्गत वित्तपोषित रेशम उत्पादन अवसंरचना परियोजनाओं की राज्यवार संख्या, प्रकार और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) रेशमकीट बीज उत्पादन इकाइयों, पालन गृहों, चॉकी पालन केन्द्रों (सीआरसी), रेशम रीलिंग एवं बुनाई इकाइयों, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यवार कुल कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत अवसंरचना विकास के लिए व्यक्तिगत किसानों, सहकारी समितियों और निजी संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का पैटर्न क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश से नई रेशम उत्पादन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव अनुमोदन के लिए लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के लिए धन के प्रभावी कार्यान्वयन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): सरकार देश में रेशम क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सिल्क समग्र योजना को क्रियान्वित कर रही है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, रेशमकीट बीज उत्पादन इकाइयों, रियरींग हाउस, चौकी रियरींग सेंटर्स (सीआरसी), रेशम रीलिंग और वीविंग इकाइयों, सामान्य सुविधा केंद्रों, राज्यवार उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना सहित लाभार्थी उन्मुख घटकों के माध्यम से आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार आवंटित/जारी और उपयोग की गई केन्द्रीय निधियां **अनुबंध** में दी गई हैं।

(ग) और (घ): वर्तमान में, स्वीकृति के लिए लंबित नई रेशम उत्पादन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। सिल्क समग्र और सिल्क समग्र-2 योजना के तहत अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय सहायता डिफाइन्ड शेयरिंग पैटर्न के साथ कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रदान की गई है। व्यक्तिगत किसानों, सहकारी समितियों (एसपीवी/एफपीओ/एसएचजी/एनजीओ) और निजी संस्थाओं के लिए चल रही सिल्क समग्र-2 योजना के तहत सहायता का पैटर्न नीचे दिया गया है:

#	विवरण	भारत सरकार (सीएसबी) %	राज्य %	लाभार्थी %
क	**पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा सभी राज्य**			
1	सामान्य राज्य- सामान्य श्रेणी	50	25	25
2	सामान्य राज्य – एससी और एसटी के लिए	65	25	10
3	विशेष दर्जा प्राप्त राज्य	80	10	10

ख	**सेरी बिजनेस एंटरप्राइज / उद्यमी**			
1	सामान्य- नए/मौजूदा	30/20	20	50/60
2	एससी और एसटी तथा विशेष दर्जा एवं पूर्वोत्तर राज्य- नए/मौजूदा	40/30	30	30/40
ग	**उत्तर पूर्वी राज्य**			
1	समूह गतिविधि/समुदाय आधारित कार्यक्रम	100	-	-
2	सामान्य सुविधा/राज्य बुनियादी ढांचा	90	10	-
3	व्यक्तिगत लाभार्थी	90	-	10

(ङ): राज्य स्तर पर परियोजना निगरानी समिति (पीएमसी), केंद्रीय रेशम बोर्ड स्तर पर शीर्ष अनुमोदन और निगरानी समिति तथा क्षेत्र में लाभ/परिसंपत्तियों का संयुक्त सत्यापन सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत निधियों के प्रभावी कार्यान्वयन और उपयोग को सुनिश्चित करता है।

अनुबंध

सिल्क समग्र एवं सिल्क समग्र-2 योजना के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों के दौरान आवंटित/जारी एवं उपयोग की गई राज्यवार केन्द्रीय निधियां

(लाख रुपये में)

#	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
		रेशम समग्र				सिल्क समग्र-2					
		आवंटित/ जारी	उपयोग किया गया	आवंटित/ जारी	उपयोग किया गया	आवंटित/ जारी	उपयोग किया गया	आवंटित/ जारी	उपयोग किया गया	आवंटित/ जारी	उपयोग किया गया
1	कर्नाटक	5507.29	5507.29	5756.07	5756.07	10140.19	10140.19	1538.38	895.25	8585.08	8585.08
2	आंध्र प्रदेश	2748.01	2587.52	2251.10	1997.26	2496.27	2026.64	0.00	0.00	1280.51	0.00
3	तेलंगाना	1021.66	1021.66	1391.71	1391.71	567.79	265.51	3421.71	1158.48	77.14	0.00
4	तमिलनाडु	1452.21	1276.55	1432.52	1069.93	1968.09	1711.35	3335.46	3128.80	4565.32	1219.25
5	महाराष्ट्र	475.55	475.55	0.00	0.00	106.68	105.25	284.94	248.38	2267.46	0.00
6	केरल	305.35	200.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	उत्तर प्रदेश	455.77	441.47	357.00	357.00	2529.74	2180.27	0.00	0.00	2304.468	1190.575
8	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	293.18	0.00	0.00	0.00
9	छत्तीसगढ़	218.32	218.32	84.75	84.75	1478.19	1194.41	2895.83	1497.27	0.00	0.00
10	पश्चिम बंगाल	447.80	447.80	5.51	5.51	0.00	0.00	721.12	658.41	749.49	0.00
11	बिहार	0.00	0.00	364.63	364.63	1177.44	965.92	1031.48	38.48	0.00	0.00
12	झारखंड	44.65	0.00	54.24	0.00	0.00	0.00	273.94	100.18	39.68	0.00
13	उड़ीसा	261.93	70.64	226.97	149.93	76.63	0.00	355.92	0.00	0.00	0.00
14	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	546.65	518.03	0.00	0.00	399.29	0.00
15	हिमाचल प्रदेश	213.79	213.79	772.86	772.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	उत्तराखंड	928.98	917.16	269.74	269.74	511.82	473.43	784.09	239.95	148.27	0.00
17	हरियाणा	217.76	0.00	26.56	0.00	241.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	पंजाब	107.90	107.90	117.72	117.72	241.73	239.73	81.76	75.06	446.38	0.00
19	असम	74.14	74.14	97.68	57.68	672.42	435.51	2150.14	545.47	11.70	0.00
20	बीटीसी	0.00	0.00	758.50	758.50	909.13	909.13	1936.03	1809.11	0.00	0.00
21	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	2364.26	2343.69	2619.15	2203.93	851.70	640.16
22	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3248.96	228.99	0.00	0.00
23	मेघालय	0.00	0.00	62.46	0.00	1039.11	797.87	632.08	115.20	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.00	0.00	470.13	470.13	967.63	945.86	2006.90	1777.12	706.15	561.51
25	नागालैंड	0.00	0.00	237.35	237.35	2249.35	2248.94	1521.04	1382.80	2304.49	2170.81
26	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	119.00	0.00	629.57	168.06	0.00	0.00
27	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	152.00	1448.23	0.00
कुल		**14481.08**	**13559.90**	**14745.75**	**13860.76**	**30403.37**	**27501.72**	**29913.70**	**16422.93**	**26185.35**	**14367.38**

***